जारी 23/4/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2087 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री नानक चन्द लोहिया (सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी– 263139

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2129/हिन्दी दिनांक दिनांक 01 अप्रैल, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 05 बिन्दुओं से सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 01	उत्तराखण्ड सरकार का गजट संख्या–22/XXXVI(3) 2010/85(1) 2009 दिनांक 07 जनवरी, 2019 कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नही है।
बिन्दु संख्या– 02	विज्ञापन संख्या– 819 दिनांक 05 मार्च, 2019 (प्रति संलग्न) है
बिन्दु संख्या– 03	गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 19–विज्ञापन मद में कुल ₹ 2,49,683.00 की धनराशि व्यय हुई है।
बिन्दु संख्या– 04	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।
बिन्दु संख्या– 05	कार्यालय में धारित नही है।

संलग्न–यथोपरि।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

प्राप्त-25/3/19

प्रेषकः– नानक चन्द लोहिया (सचिव)
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी–263139

पत्र सं0 2129/ हिन्दी

दिनांकः– 9-3-2019

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी जी,
कार्यालय चीफ इलेक्शन आफीसर, उ०ख० सचिवालय परिसर, प्रथम तल विश्वकर्मा भवन, सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार 2005 (धारा–4) की सूचना के लिए आवेदन।
1– आपकी विज्ञापन सूचना हिन्दी हिन्दुस्तान दिनांक 6-3-19 अंग्रेजी में।
2– उत्तराखण्ड सरकार गजट सूचना–25/**XXXVI**(3) 2010/85(1) 2009 दिनांक 07.01.2010 राजभाषा हिन्दी प्रयोग की विहित सूचना एवं केन्द्र सरकार का "क" क्षेत्र हेतु शासनादेश। 3- लोक प्राधिकारी द्वारा सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन - (Proactive Disclosure) 17 मैनुअल धारा-4।

सम्मानित महोदय,

नियमानुसार आपके कार्यालय द्वारा हिन्दी के समाचार पत्र में विज्ञापन सूचना हिन्दी में ही देनी है किन्तु इसकी पालना नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्न सूचना देने की कृपा करें–

1. उपरोक्त गजट विहित सूचना का अभिलेख रूप आपके द्वारा किस दिनांक को किया गया है क्रमांक सहित।
2. विज्ञापन आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं कार्यालय प्रशासकीय प्रधान का नाम पद।
3. विज्ञापन पर व्यय धनराशि/अनुमानित ऐसे गत वर्ष किये भुगतान का ब्यौरा।
4. विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पद तथा पता।
5. आपके कार्यालय में उस स्थान का विवरण, जहाँ धारा-4 की स्वतः देय सूचना पट लगा हो।

विकल्प–'भविष्य में हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी शासनादेशों का कड़ाई से पालन करने का कार्यालय आदेश कर प्रतिलिपि मुझे भेंज दें। क्रमांक 1 से 5 तक की सूचना इसे ही हम मान लेंगे।'

यह आवेदन पत्र पूर्व में भाषा विभाग को शुल्क अदा कर प्राप्त हिन्दी प्रयोग सूचना की अवमानना और धारा–4 की 'सूओमोटो'–स्वः प्रकाशित सूचना का है जिसके लिए आवेदन करना भी आवश्यक नहीं है अतः पुनः शुल्क देय नहीं है।

भवदीय

(नानक चन्द लोहिया)

ज्ञान के रूप में अंग्रेजी भाषा के हम विरोधी नहीं, किन्तु जन सूचना अपनी भाषा में न दिये जाने से विशाल हिन्दी भाषी जनता की भावनाएँ आहत होती हैं और देश की एकता को हानि पहुंचती है।

क्रम संख्या–14

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0

पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 25 / XXXVI(3) / 2010 / 85(1) / 2009

देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिए प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिए व्यवस्था करने का–

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए जो इस अधिनियम के आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।

इसलिए भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1- (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2-संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :-

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश;

(2) भारत का संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई शासकीय प्रयोजन;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

संस्कृत का प्रयोग

3-संस्कृत भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायं।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Official Language Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 14 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 07, 2010).

No. 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND OFFICIAL LANGUAGE ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT No. 14 OF 2010)

To provide for adoption of Hindi as the languages to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttarakhand.

WHEREAS, Article 345 and Clause (3) of Article 348 of the Constitution provided inter alia that the Legislature of a State may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing:

AN

Act

Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Official Language Act, 2009. — Short Title, extent and Commencement

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

2. Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall be the language used in respect of the following:-- — Hindi to be Official Language of the State

(a) (1) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution;

(2) orders, notifications. rules regulations and by elaws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State; and

(b) all or any of the Official Purposes of the State;

Provided that the State Government may by general of special order in this behalf permit the use of International form of Indian numerals for any Official purpose of the State.

3. In the interest of Sanskrit speaking people, Sanskrit language shall be used as second Official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time. — Use of Sanskrit

4. (1) The Uttar Pradesh Official Language Act, 1951 is hereby repealed in relation to Uttarakhand. — Repeal and sharing

(2) Notwithstanding such repeal specified in sub-section (1), anything done or any action taken under this Act shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 5 विधायी/32--2010--100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
Email-election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2712338(स्वीप), 2712055, 2713551

संख्या 820 /XXV–08/2019 देहरादून : दिनांक 05 March फरवरी 2019

सेवा में,

महा निदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड ।

विषयः– **Advertisement regarding Empanelment of Agencies under SVEEP : reg.**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि इसका उत्तराखण्ड राज्य के सर्वाधिक प्रचलन के तीन समाचार पत्रो मे डीएवीपी दरो पर ब्लेक एण्ड व्हाइट 08(**width**) गुना 14 (**height**) वर्ग सेमी के आकार मे प्रकाशित करा कर बिल प्रमाणीकरण के उपरान्त नियमानुसार भुगतान वास्ते इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करे ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Chief Electoral Officer, Uttarakhand

Uttarakhand Secetariat Campus; First Floor, Vishwkarma Bhawan, Subhash Road,Dehradun,
Phone No. 0135-2712338 Email election09@gmail.com Web www.ceo.uk.gov.in

Letter No- 819 XXV-08/2019 Dehradun/Dated 05 March ~~Feb.~~, 2019

Short-Term Tender Notice for Expression of Interest(EoI) for Empanelment of Flex Printer & Vendor/Supplier Agencies

Chief Electoral Officer, Uttarakhand invites Expression of Interest (EoI) for Empanelment in following Categories:-

S.No.	Type of Work	Category
01	Flex & Vinyl Printing/Making & Installation of Various Outdoor Media Material i.e. Hording/Boards(Flex/Backlit/Digital/LED)/Standees/Sun pack/Backdrop etc.	Category-B
02	Vendor/Supplier for Supplying of Merchandise Item(s)	Category-C

- Sale of Tender (EOI) document: From 6th March to 11h March,2019
- Last Date & time of Submission : 12th March,2019 at 3.00 PM
- Opening Date & Time of Bid: 12th March,2019 at 4.00 PM

For details & Downloading the tender document please visit at tender link of CEO Portal www.ceo.uk.gov.in from dated 06.03.2019

Chief Electoral Officer
Uttarakhand